भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1833

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

गिग वर्कर्स को निर्माण कर्मकारों का दर्जा प्रदान करना

1833. श्री गिरिधारी यादव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख से अधिक है और वे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कामगारों का निर्माण कर्मकारों की तर्ज पर स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, रोजगार सुरक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध मे कब तक नीति बनाने और उन्हें निर्माण कर्मकारों के समान सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 77 लाख थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने की आशा है।

संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

संहिता में जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का उपबंध है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को की गई बजट घोषणा में उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने, उनके लिए पहचान पत्र की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।

*****